an>

Title: Need to do away with Compulsory Environmental Clearance Certificate for the Kiln industry.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण ईंट निर्माताओं की समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकृÂट कराना चाहती हूं। यू.पी. में लगभग 18,000 ईंट भट्टे संचालित हैं जिसमें निर्बल वर्ग के श्रमिकों को रोजगार मिलता है और केन्द्र और राज्य की सरकारों को अच्छे राजस्व की प्राप्ति होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीपक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें माइन एंड मिनरल उत्खनन के पूर्व पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य किया गया था और इसमें ईंट-भट्टों का कहीं भी उल्लेख नहीं था। इस निर्णय के अनुपालन में केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भी गाइडलाइन्स जारी की गई और इस आदेश के अनुपालन में बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए उत्तर प्रदेश माइन एंड मिनरल कंसैशन रूल्स, 1963 में 23 दिसम्बर 2012 को 35वां संशोधन करते हुए ईंट भट्टों को खनन संक्रिया से बाहर रखा गया परंतु राÂट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा जनवरी 2015 में ईंट-भट्टों के लिए भी स्वच्छता प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया गया। इस आदेश की आड़ में स्थानीय प्रशासन द्वारा ईंट निर्माताओं का शोÂाण हो रहा है जिससे यह उद्योग हतोत्साहित हो रहा है और इससे श्रमिकों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्री जी से मांग है कि इस गाइडलाइन में संशोधन करने पर विचार करें जिससे ग्रामीण ईंट निर्माताओं की समस्याओं का निवारण हो सके। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON Shri Bhairon Prsad Mishra, Shri Nishikant Dubey, Shri Dushyant Singh are permitted to associate with Shrimati Anupriya Patel.